Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide financial assistance to people affected by flood in Maharashtra.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, जुलाई-अगस्त के माह में महाराष्ट्र में भारी वर्षा की वजह से वहां कृष्णा, पंचगंगा, वारना और कोयना नदियों में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी । कोल्हापुर, सांगली, दोनों जिले कम से कम पन्द्रह दिनों तक बीस-बीस फीट पानी के अन्दर थे । उसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की जानें गयीं थीं और करीब सात-आठ हजार जानवरों की भी जानें गईं थीं । केन्द्र सरकार की जो टीम वहां गई थी, उन्होंने वहां पर सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नुकसान का अंदाजा लगाया था । उस वक्त केन्द्र सरकार ने 900 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक वहां एक पैसे की भी मदद नहीं हो सकी । इसलिए लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो स्ट्रिक्चर्स पास किए, उसमें बहुत नाराजगी व्यक्त की गई है ।

महोदय, इसलिए इस ज़ीरो आवर के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि बाढ़ से प्रभावित कोल्हापुर, सांगली जिले के लोगों को आधार देने के लिए, वहां के लोगों को अर्थ सहायता देने का इंतजाम जल्द से जल्द करें । एक नैसर्गिक आपत्ति के लिए भी अगर न्यायालय आदेश देता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है । यह पूरी होनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर एवं श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक को श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।